

विदेन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार जमाबंदी संख्या 2015-18 के खाता नं-494 में खातेदार नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 229 ला. सं. 2430 ए. सं. 1080 नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 1303/9720 का देहा खातेदार है। जमाबंदी संख्या 2015-18 में नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 1303/9720 का देहा खातेदार शुद्ध करने हेतु भीषात पी. जी. लि. सं. 9720

क्रमांक : राजस्व/2020/110/2021 कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेचन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चया की जाती है।

प्रशासन मामलों के रोज अभियान 2021

21/11/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला मुंबुतूर (राज.)

:- आदेश :-

दिनांक :- 27/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी संवत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	छापमती	2015-2078	494	नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 229 ला. सं. 2430 ए. सं. 1080 नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 43/1080 का देहा खातेदार	नवीन सिंह पु. सुरेश सिंह हि. 1303/9720 का देहा खातेदार

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
दिनांक :- 27/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/439-40
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी